

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.03.2026 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3090 का उत्तर

दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एबीएसएस के तहत रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण

3090. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों की वर्तमान स्थिति सहित वर्ष 2026 तक अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के अंतर्गत पुनर्निर्मित किए जा रहे स्टेशनों की संख्या कितनी है;
- (ख) मल्टी-मोडल एकीकरण और पर्यटन परिपक्व से संबंधित विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के यात्री संतुष्टि और क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर प्रभाव का कोई आकलन किया है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

गुजरात में स्थित दाहोद लोकसभा क्षेत्र के दाहोद और लिमखेड़ा स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित किया गया है। दाहोद और लिमखेड़ा स्टेशनों पर विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।

दाहोद स्टेशन पर, स्टेशन भवन में सुधार, प्रांगण, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर प्लेटफॉर्म की सतह, बुकिंग काउंटर में सुधार, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा कक्ष, पे एंड यूज शौचालय, परिचलन क्षेत्र, प्रवेश/निकास द्वार और संकेतक का कार्य पूरा हो चुका है। 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू किया गया है।

लिमखेड़ा स्टेशन पर, नए स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 की ऊंचाई बढ़ाना, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2/3 पर शौचालय, परिचलन क्षेत्र में सुधार, प्रवेश/निकास द्वार का कार्य पूरा हो चुका है। संकेतकों और 6 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू किया गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना में मास्टर प्लान तैयार करना तथा उनका चरणबद्ध क्रियान्वयन कर स्टेशनों का उन्नयन शामिल है। मास्टर प्लान में निम्न शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पेयजल बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म पर कवर में सुधार/प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों का एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध और व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। स्टेशनों को शहर के केंद्रों में विकसित करने से बेहतर यात्रा अनुभव के अलावा स्टेशनों पर और उसके आसपास उन्नत आर्थिक गतिविधियों की परिकल्पना की गई है।

अभी तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है जिनमें से 87 स्टेशन गुजरात में स्थित हैं। गुजरात में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
गुजरात	87	अहमदाबाद, आनंद, अंकलेश्वर, असारवा, बारडोली, भचाऊ, भक्तिनगर, भंवड़, भरूच, भाटिया, भावनगर, भेस्तान, भीलडी, बिलिमोरा (एनजी), बिलिमोरा जंक्शन, बोटाड जंक्शन, चांदलोडिया, चोरवाड़ रोड, डभोई जंक्शन, दाहोद, डाकोर, देरोल, धांगधारा, द्वारका, गांधीधाम, गोधरा जंक्शन, गोंडल, हापा, हिम्मतनगर, जाम जोधपुर, जामनगर, जामवंतली, जूनागढ़, कलोल, कानालुस जंक्शन, करमसद, केशोद, खंभालिया, किम, कोसंबा जंक्शन, लखतर, लींबडी, लिमखेड़ा, महमदाबाद और खेड़ा रोड, महेसाणा, महुवा, मणिनगर, मीठापुर, मियागाम कर्जन, मोरबी, नडियाद, नवसारी, न्यू भुज, ओखा, पदधारी, पालनपुर, पलिताना, पाटन, पोरबंदर, प्रतापनगर, राजकोट, राजुला जंक्शन, साबरमती (बीजी ओर एमजी), सचिन, सामाख्याली, सनजन, सावरकुंडला, सायन, सिद्धपुर, सिहोर जं., सोमनाथ, सोनगढ़, सूरत, सुरेंद्रनगर, थान, उधना, उदवाड़ा, अंबरगांव रोड, उंझा, उत्राण, वडोदरा, वापी, वटवा, वेरावल, वीरमगाम, विश्वामित्री जं., वांकानेर

पूर्ण किए गए स्टेशन

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गुजरात में रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं। अब तक, इस योजना के तहत गुजरात के 21 स्टेशनों (डाकोर, डेरोल, गोधरा जंक्शन, हापा, जाम जोधपुर, जाम वंथाली, कानालुस जंक्शन, करमसद, खंभालिया, कोसम्बा जंक्शन, लींबडी, महुवा, मीठापुर, मोरबी, ओखा, पलिटाना, पोरबंदर, राजुला जंक्शन, सामाख्याली, सिहोर जंक्शन, उत्राण) के कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

अन्य स्टेशनों पर भी विकास के लिए कार्यकलाप अच्छी गति से शुरू किए गए हैं और कुछ स्टेशनों की प्रगति नीचे दी गई है:

- असारवा स्टेशन: नए स्टेशन भवन, प्रांगण, नए प्रतीक्षा कक्ष, बुकिंग काउंटर और शौचालय ब्लॉक का कार्य पूरा हो चुका है। नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, दिव्यांगजनों हेतु सुविधाओं और कॉनकोर्स के परिष्करण का कार्य शुरू किया गया है।
- हिम्मतनगर स्टेशन: नए स्टेशन भवन, मौजूदा स्टेशन भवन का सुधार, पेयजल बूथ, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग और 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू किया गया है।
- सीहोर स्टेशन: प्लेटफॉर्म सतह, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, पहुंच, संकेतकों और स्टेशन प्रकाश व्यवस्था का कार्य पूरा किया जा चुका है। 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकतानुसार, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन किए जाते हैं। स्टेशन का

विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण स्टेशन की कोटि/स्थिति/यातायात संभलाई आदि के आधार पर किया जाता है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथों और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन और व्यय का ब्यौरा कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है। गुजरात दो रेल क्षेत्रों, अर्थात् उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन जोनों के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,081 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें से अब तक 1,820 करोड़ रुपए का व्यय (जनवरी, 2026 तक) उपगत किया गया है।

पर्यटन सर्किट:

भारतीय रेल ने नवंबर 2021 में 'भारत गौरव रेलगाड़ियां' नीति जारी की, जिसके तहत भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और भव्य ऐतिहासिक स्थलों को भारत और विश्व के लोगों के सामने प्रदर्शित करने के उद्देश्य से थीम आधारित पर्यटक रेलगाड़िया चलाई जा रही हैं। इस नीति के अनुसार, सेवा प्रदाताओं को भारत गौरव पर्यटक सर्किट रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए

थीम/यात्रा कार्यक्रम तय करने की पूरी छूट है, जिसमें बाजार की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से के पर्यटक सर्किट शामिल हो सकते हैं।
